

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 39/31/9

पटना, दिनांक 12/2/18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 03/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(संलग्न तालिकानुसार)।

विषय :- मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 003 औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0001-शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड 23-2852.80.003.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को स्थापना व्यय वहन करने के लिए कुल राशि रू० 9,75,000/- (नौ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उक्त बजट शीर्ष के अधीन संलग्न सूची के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपया 9,75,000/- (नौ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 003 औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0001-शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड 23-2852.80.003.0001 के अन्तर्गत मूल उपबंध एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त उपबंध से विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए राशि का आवंटन।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018-19 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक आवश्यक भेज दें।

विश्वासभाजन



उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 39/3110/

पटना, दिनांक 12/12/18

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 39/3110/

पटना, दिनांक 12/12/18

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80 सामान्य-लघु शीर्ष 003 औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0001-शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड 23-2852.80.003.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए गैर योजना (स्थाई) कार्यालय को राशि का आवंटन।

क्र०	कार्यालय/केन्द्र का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन	जी० या० भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	विद्युत प्रभार	छात्रवृत्ति/ वजीफा	कुल योग
		विषय शीर्ष	0001.01.01	0001.01.03	0001.01.04	0001.01.06		0001.13.04	0001.34.01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, काको जहानाबाद।	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) गया।	70000	15000	13000	2000	100000	0	0	100000
2	बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, नेपुरा (सिलाव) नालन्दा, बिहारशरीफ।	महाप्रबंधक, जि० उ० के०, बिहारशरीफ, नालन्दा।	0	0	0	0	0	30000	0	30000
3	बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, अमरपुर, बांका।	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) भागलपुर।	0	0	0	0	0	0	427900	427900
4	बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बाबाग, अलीगंज, भागलपुर।	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) भागलपुर।	0	0	0	0	0	0	417100	417100
5		योग	70000	15000	13000	2000	100000	30000	845000	975000

कुल (नौ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र।


 उद्योग निदेशक
 बिहार, पटना।